GST क्या है?

GST को हिंदी में "वस्तु एवं सेवा कर" के नाम से जाना जाता है, **GST** का **Full Form Goods and Service Tax** है,

यह **Indirect Tax** हैं जो भारत सरकार द्वारा लिया हैं

यह भारत सरकार द्वारा **1** जुलाई **2017** में लागू किया गया है यह अन्य टैक्स .

जैसे उत्पाद कर, विक्रय कर, वैट एवं अन्य लगभग **50** से अधिक करो को मिलाकर जीएसटी का निर्माण किया गया है जिससे की टैक्स को सरल किया जा सके .

इसको **GST** काउंसिल द्वारा मैनेज किया जाता है जिसमे वित्त मंत्री की अगुवाई में पुरे काउंसिल कार्य करता है.

GST को एक राष्ट्र एक कर भी कहा जाता है.

GST – One Tax One Nation

GST की दरे (GST Rates)

5%, 12%, 18% & 28%

https://www.cbic-gst.gov.in/gst-goods-services-rates.html

Types of GST

जीएसटी को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया गया है

SGST – State Goods and Service Tax
CGST – Central Goods and Service Tax
IGST – Integrated Goods and Service Tax

SGST क्या है?

SGST को हिंदी में राज्य वस्तु एवं सेवा कर और **SGST** को **English** में **State Goods and Service Tax** के नाम से जाना जाता है, यह **GST** टैक्स स्टेट गवर्नमेंट को जाता है जैसे यदि कंप्यूटर खरीदें . उसमें18% जीएसटी लगाया जा रहा है तो उसमें **9 %** **SGST** के रूप में लगाया जाता है, **SGST** केवल स्टेट के अंदर ही खरीदी और बिक्री करने के लिए लगाया जाता है अर्थात स्टेट के अंदर कोई व्यक्ति माल खरीदना है और माल बेचता है तो उसे **SGST** देना पड़ता है.

CGST क्या है?

CGST को हिंदी में केन्द्र वस्तु एवं सेवा कर और **CGST** को **English** में **Central Goods and Service Tax** के नाम से जाना जाता है, यह GST टैक्स **Central Government** को जाता है जैसे यदि कंप्यूटर . खरीदें उसमें18% जीएसटी लगाया जा रहा है तो उसमें 9 परसेंट **CGST** के रूप में लगाया जाता है, **CGST** केवल स्टेट के अंदर ही खरीदी और बिक्री करने के लिए लगाया जाता है अर्थात स्टेट के

अंदर कोई व्यक्ति माल खरीदना है और माल बेचता है तो उसे **CGST** देना पड़ता है.

CGST एक स्टेट के अंदर खरीदी और बिक्री करने पर लगाया जाता है जैसे मैं टीवी करता हूं उसके ऊपर 18 % जीएसटी दिया तो बिल में 9 % एसजीएसटी और 9 % सीजीएसटी के नाम से एंट्री के जाता है इस प्रकार कुल 18% जीएसटी लगाया गया

IGST क्या है?

GST को हिंदी में एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर और **IGST** को English में Integrated Goods and Service Tax के नाम से जाना जाता है.

IGST इंटीग्रेटेड जीएसटी को जब हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लेनदेन करते हैं, तब IGST लगाया जाता है जैसे मैं माल को मुंबई से लेकर आया . औरउसे छत्तीसगढ़ में बेचा तो इस प्रकार दो राज्यों के बीच में लेन देन- हो रहा है, तो इस प्रकार के लेन दिनों में **IGST** लगाया जाता है जैसे कि कोई मैं वाशिंग मशीन खरीद रहा हूं तो इसके ऊपर IGST 18 परसेंट लगाया जाएगा.

GSTIN क्या है?

GSTIN को हिंदी में वस्तु एवं सेवा कर पहचान संख्या कहा जाता है और **GSTIN** को **Englsih** में **Goods and Service Tax Identification** Number अंको का होता है , **GSTIN** का Full Form पूरा नाम – Goods and Service Tax Identification Number होता है , जिसे हम 5 भागों में बाट सकते है .

- State Code
- PAN Number
- Entity Number
- Z Defult Letter
- Check Sum Digit

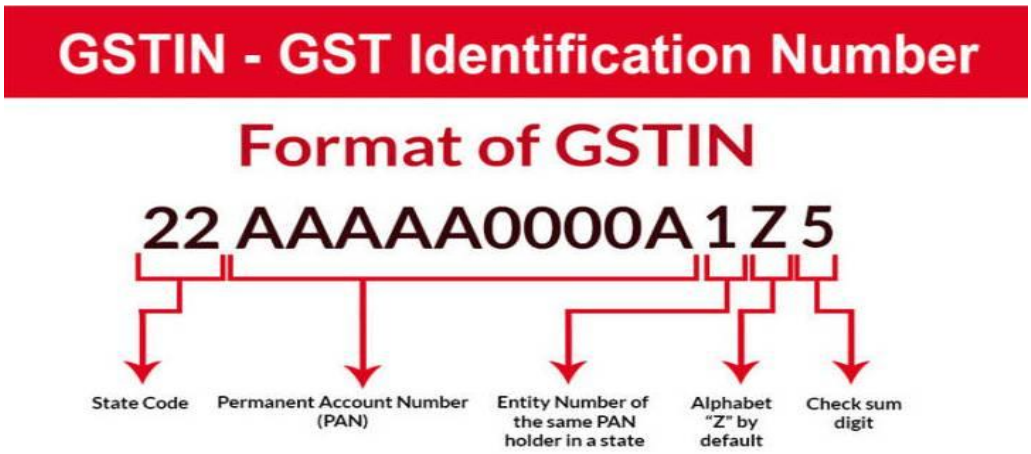

राज्य	कोड	राज्य	कोड
जम्मू और कश्मीर	1	झारखंड	20
हिमाचल प्रदेश	2	उड़ीसा	21
पंजाब	3	छत्तीसगढ़	22
चंडीगढ़	4	मध्य प्रदेश	23
उत्तराखंड	5	गुजरात	24
हरियाणा	6	दादरा-नगर हवेली और दमन-दीव	26
दिल्ली	7	महाराष्ट्र	27
राजस्थान	8	आंध्र प्रदेश	28
उत्तर प्रदेश	9	कर्नाटक	29
बिहार	10	गोवा	30
सिक्किम	11	लक्षद्वीप	31
अरुणाचल प्रदेश	12	केरल	32
नगालैंड	13	तमिल नाडु	33
मणिपुरी	14	पुदुचेरी	34
मिजोरम	15	अंड. निको. द्वीप समूह	35
त्रिपुरा	16	तेलंगाना	36
मेघालय	17	आंध्र प्रदेश	37
असम	18	लद्दाख	38
पश्चिम बंगाल	19		

GSTIN State Code

GSTIN प्रत्येक राज्य के लिए unique number निर्धारित किया गया है जो की इस प्रकार है –

- GSTIN Code State
- PAN Number

PAN का full form : Permanent Account Number होता है, GSTIN में व्यापार व्यवसाय के स्वामी का पैन कार्ड की संख्या सम्मिलित होता है- जो कि10 अंकों का होता है इसलिए जीएसटी पंजीयन के समय पैन कार्ड अनिवार्य होता है।

- **Entity Number**
- **Z Defult Letter**
- **Check Sum Digit**

जीएसटी में टैक्स दरें – GST Rates

GST Rates की बात करे तो यहाँ GST Council ने मुख्य रूप से 5 तरह की दरे तय की है जो वस्तु और सेवा को देखते हुए लगाई जाएंगी | जिसमे – 0%, 5%, 12%, 18% और 28% की दरे शामिल है| ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली ज्यादातर कम मूल्य की वस्तुओ पर कम GST लगाया गया है ताकि निचले स्तर को इसका भार वहन ना करना पड़े| और जरुरी सेवाए जैसे Education और Health सुविधाओं को भी GST से बाहर रखा गया है|

जीएसटी पंजीकरण – GST Registration

वस्तुओं या सेवाओं की सप्लाई करने वाले व्यवसायों को GST में रजिस्टर होना पड़ता हैं ताकि वे जीएसटी की सभी प्रक्रियाओं को पूरा करें और समय पर जीएसटी का भुगतान करें | जीएसटी में रजिस्ट्रेशन और अन्य तरह की सभी प्रोसीजर पूरी तरह से ऑनलाइन हैं | जीएसटी में केवल रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद व्यवसायों को सभी प्रक्रियाओं जैसे जीएसटी इनवॉइस जारी

करना, जीएसटी का भुगतान , समय पर जीएसटी रिटर्न फाइल करना आदि कंप्लायंस को पूरा करना होता हैं | कुछ छोटे व्यवसायों के लिए GST में रजिस्ट्रेशन करवाना और अन्य Compliance जैसे जीएसटी पेमेंट करनाऔर रिटर्न फाइल करना अनिवार्य नहीं (exemption) हैं|

रजिस्ट्रेशन किसे करवाना जरुरी है – Mandatory GST Registration

यह कई बातो पर निर्भर करता है की किसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने होगा और किसे नहीं | नीचे इसके मुख्य बिन्दुओ को समझाया गया है की किस आधार पर GST रजिस्ट्रेशन लागू होगा –

Update : सरकार द्वारा GST Registration को लेते हुए एक बड़ा फैसला लिया गया है , जिसमे **Turnover (Threshold Limit) 40** लाख कर दी गई है और कुछ उत्तर-पूर्वी पहाड़ी राज्यों में इसकी लिमिट 20 लाख कर दी गई है – पहले यह लिमिट 20 लाख और 10 लाख थी |इसके साथ ही कम्पोजीशन स्कीम की सीमा भी 1 करोड़ से बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपये की गई है | यह नए नियम **1** अप्रैल **2019** से लागू होंगे|

सरल शब्दों में अगर आप कोई व्यापार करते है और Financial Year के दौरान आपके बिज़नेस का **Turnover 40** लाख (कुछ राज्यों में 20 लाख) हो जाता है तो आपको **GST Registration** अनिवार्य रूप से लेना होगा | (यह नियम 1 अप्रैल 2019 से लागू होगा|).

जीएसटी में रिटर्न – GST Returns

मुख्य रूप से तीन तरह के Return भरे जाएँगे| जिसमे व्यापार के हर महीने की कुल बिक्री, खरीद और टैक्स से जुडी जानकारी देनी होगी | यह Online ही भरे जाएँगे:

GSTR 1 –

इसमें हर महीने/तिमाही की Total Sales यानी Outward Supply की जानकारी देनी होगी और यह Return अगले महीने की 10 तारीख को भरा जाएगा| जिनका वार्षिक टर्नओवर 1.5 करोड़ तक हैं वे Quarterly Return (तिमाही रिटर्न) फाइल कर सकते हैं|

GSTR 3B –

वर्तमान में **GSTR 2** और **GSTR 3** को टाल दिया गया हैं और उसकी जगह **GSTR-3B** लाया गया हैं जिसे हर माह की समाप्ति के बाद अगले महीने की **20** तारीख तक फाइल करना हैं **|** यह सभी को **Monthly** फाइल करना हैं **|** फिलहाल यह मार्च **2019** तक जारी रहेगा**|**

GSTR 2 –

इसमें महीने/तिमाही की Total Purchase यानी Inward Supply की जानकारी देनी होगी और यह Return अगले महीने की 15 तारीख को भरा जाएगा| वर्तमान में इस रिटर्न को फाइल करना टाल दिया गया हैं

GSTR 3 –

इसमें महीने/तिमाही की सभी बिक्रियों और खरीदारियों (Outward Supply And Inward Supply) की मैचिंग होगी| यह अगले महीने की 20 तारीख को भरा जाएगा और इसके बाद ही इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल पाएगी |वर्तमान में इस रिटर्न को फाइल करना टाल दिया गया हैं

GSTR 9 –

31 दिसम्बर को साल के आखिर में आपको पूरे वर्ष की Business लेने देने की जानकारी देनी होगी | और पुरे वर्ष में कुल मिलाकर 37 जीएसटी रिटर्न भरने होंगे|

Composition Scheme – GSTR 4

यह Return उन व्यापारियों को भरना है , जिन्होंने कम्पोजीशन स्कीम का चुनाव किया है| इसके दौरान उन्हें हर 3 महीनो में एक Return (GSTR4) भरना होगा और वर्ष के अंत में 1 वार्षिक Return भी देना होगा | यह 18 July, 18 Oct, 18 Jan, और 18 April में भरे जाएँगे|

यहाँ पर भारत में लगाया जाने वाले मुख्य अप्रत्यक्ष कर जीएसटी के बारे में बताया गया हैं| जीएसटी के अलावा इनकम टैक्स मुख्य प्रत्यक्ष कर हैं जो कि आपके द्वारा कमाई गई वार्षिक आय के आधार पर लगता हैं|

इनकम टैक्स के बारे में पूरी जानकारी इस लिंक पर देख सकते हैं